सं. 38: बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) - पंजीकरण

(राशि मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

मद	2025-26	2025	2026	
		मई	अप्रै.	मई
	1	2	3	4
1. स्वचालित मार्ग				
1.1 संख्या	1378	100	126	144
1.2 राशि	36124	2739	3765	4744
2. अनुमोदन मार्ग				
2.1 संख्या	24	0	0	0
2.2 राशि	6845	0	0	0
3. कुल (1+2)				
3.1 संख्या	1402	100	126	144
3.2 राशि	42969	2739	3765	4744
4. भारित औसत परिपक्वता (वर्षो में)	5.30	4.80	5.40	5.20
5. ब्याज दर (प्रतिशत)				
5.1 अस्थिर दर के ऋणों@ के लिए वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) पर भारित औसत मार्जिन	1.50	1.46	1.39	1.37
5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा	0.00-11.00	0.00-10.00	0.00-11.33	0.00-11.00
उधारकर्ता श्रेणियाँ				
I. कॉर्पोरेट - कृषि और बागान क्षेत्र	0	0	0	0
II. कॉरपोरेट विनिर्माण	7340	1201	1223	374
III. कॉरपोरेट - अवसंरचना	13100	717	1753	1509
ए) परिवहन	2792	400	133	205
बी) ऊर्जा	6898	0	1235	931
सी) पानी और सफाई व्यवस्था	39	0	0	0
डी) संचार	153	0	5	240
ई) सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना	129	12	0	105
एफ) अन्वेषण, खनन और रिफाइनरी	3085	305	375	1
जी) बुनियादी ढांचा (औद्योगिक पार्कों का निर्माण और विकास, एकीकृत टाउनशिप और एसईजेड)	4	0	5	27
IV. कॉर्पोरेट - निर्माण (गैर-बुनियादी ढांचा)	1	0	0	180
V. कॉरपोरेट सेवा क्षेत्र	3903	242	95	198
VI. कॉर्पोरेट-वित्तीय क्षेत्र	18124	566	662	2352
ए) बैंक	0	0	0	0
बी) एनबीएफसी	16499	566	662	2352
सी) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई)	1475	0	0	0
डी) सूक्ष्म वित्त संस्थान (एमएफआई) (बैंकों, एनबीएफसी और एआईएफआई के अलावा)	0	0	0	0
ई) अन्य	150	0	0	0
VII. अन्य संस्थाएं	10	0	0	100
ए) सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी)	10	0	0	100
बी) साझेदारी फर्म	0	0	0	0
सी) सहकारी समिति	0	0	0	0
डी) समाज	0	0	0	0
VIII. अन्य @@	491	13	32	31

@ 01 जुलाई, 2023 से बेंचमार्क दर को बदलकर वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) कर दिया गया है।

@@: 'अन्य' में 'अन्यत्र वर्गीकृत नहीं' शामिल है।

टिप्पणियाँ : 1. 'फॉर्म ईसीबी 1' में 'सामान्य और विशेष अनुमति' को आरबीआई के 18 फरवरी 2026 के 'फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, 1999 के तहत रिपोर्टिंग – बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) से संबंधित रिटर्न' परिपत्र के अनुसार पेश किया गया है, जो 16 फरवरी 2026 के आरबीआई के परिपत्र 'फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट (बॉरोइंग और लेंडिंग) (फर्स्ट अमेंडमेंट) रेगुलेशंस' के संशोधित ईसीबी फ्रेमवर्क के अनुसार है।

2. ईसीबी/फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड (एफ़सीसीबी) के लिए एप्लीकेशन के आधार पर, जिन्हें इस समय के दौरान लोन रजिस्ट्रेशन नंबर (एलआरएन) दिया गया है और बॉरोअर कैटेगरी फॉर्म ईसीबी 1 में उपलब्ध एंड-यूज़ सेक्टर पर आधारित है।